न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामनाथ बनाम राजस्थान सरकार मु0 नं0 21 / 2018 प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी धाकडा की ढाणी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा का रहने वाला है। आराजी खसरा नं0 3936 / 444 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 4588 / 97 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 4592 / 97 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 449 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 ·3941 / 444 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 419 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 4591 / 97 रकबा 5 बिस्वा भूमियां ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना– बी तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में प्रार्थी की वल्दियत नाथूलाल पि0 छगन्या अंकित है जो गलत है। प्रार्थी का असली नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या नही होकर रामनाथ पुत्र छगन्या है। नाथूलाल पुत्र छगन्या नाम का कोई व्यक्ति गग्रम डिडवाना में नही हुआ न कभी उसे देखा न उसका नाम सुना प्रार्थी का वास्तविक नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या नही होकर रामनाथ पुत्र छगन्या निवासी डिडवाना है। रामनाथ को आम समाज व सरकारी तथा गैरसरकारी रिकार्ड मे रामनाथ पुत्र छगन्या के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। प्रार्थी के रेवन्यू रिकार्ड में उसकी वल्दियत नाथूलाल पुत्र छगन्या गलत चली आने के कारण प्रार्थी को सरकारी, गैरसरकारी योजनाओं लोन आदि मे कठिनायो का सामना करना पड़ रहा है न्यायहित मे प्रार्थी का नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या के स्थान पर रामनाथ पुत्र छगन्या शुद्व किया जाना जरूरी है। दिनांक 07–09–2018 को प्रार्थी जब पटवारी हल्का के पास किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये अपनी खातेदारी भूमियों की जमाबंदी लेने गया तो प्रार्थी को पता चला की सरकारी रिकार्ड में उसका नाम गलत रूप से अंकित है। तब	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

प्रार्थी तहसीलदार लालसो के पास अपना नाम दुरूस्त करवाने का आवेदन पेश किया तो कोई कार्यवाही नही की व कहां कि न्यायालय आदेश लाओ तब कार्यवाही करेंगें। बस इसी बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3936/444 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 4588/97 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 4592/97 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 449 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 3941/444 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 419 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 4591/97 रकबा 5 बिस्वा भूमियां ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना– बी तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात मे रामनाथ पुत्र छगन्या होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपने भाईयो गोपाल, जगदीश, कैलाश, रामस्वरूप, प्रभूलाल, बाबूलाल, लड्डू पि0 छगन्या के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जो शामिल मिसल किये गये तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या को विलोपित कर उसके स्थान पर रामनाथ पुत्र छगन्या शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3936/444 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 4588/97 रकबा 2 बीघा 2

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

बिस्वा, खसरा नं0 4592/97 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 449 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 3941/444 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 419 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 4591/97 रकबा 5 बिस्वा भूमियां ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना–बी तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम नाथूलाल पुत्र छगन्या को विलोपित कर उसके स्थान पर रामनाथ पुत्र छगन्या शुद्व किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०